

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.1(1) (पत्रा/2/2011)

जयपुर, दिनांक : 03/02/12

:- आदेश :-

विभाग में पूर्व से स्वीकृत 460 प्रा0स्वा0केन्द्रों (24x7 Second Delivery Point) पर कार्यभार (High work load) की अधिकता को मध्यनजर रखते हुए पूर्व से पदस्थापित चिकित्सकों के अतिरिक्त चिकित्सकों के नवपदस्थापन की स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत जारी किये जाते हैं।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जौन राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
6. आदेश/निजि पत्रावली।



शासन उप सचिव